

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पंचायती अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

335
505/1

15
16
17
18

:- आदेश :-

ग्रामी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री देवदास कलानी व प.अ.नि. 305/1/1

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 335/5/1 /नायब तहसीलदार की अनुसंधान के आधार

पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्री देवदास कलानी तहसील 335/5/1 व

जिला 535 की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में खाता संख्या में वर्तमान में

दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	श्री देवदास कलानी	140	नानु (15) पुत्र देवदास	नानु (15) पुत्र देवदास
		261	लाला पुत्री प्रभुदेव	पिंकी देवी पुत्री प्रभुदेव
		102, 103, 310	1. जयकरणी पुत्र पुनीलाल 2. रामकिंद पुत्र पुनीलाल	1. जयकरणी किंद पुत्र पुनीलाल 2. रामकिंद पुत्र पुनीलाल

प्रधान उपखण्ड अधिकारी/पंचायती अधिकारी
लोक अदालत-सुनु
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर सुनु

दिनांक :- 01/6/22

क्रमांक :- 89

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार 335/5 को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली।

प्रधान उपखण्ड अधिकारी/पंचायती अधिकारी
लोक अदालत-सुनु
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुनु